प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, एवं वाराणसी।

पत्रांक सं0–एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / 2016–17 / 6567-4 दिनांक 21-10-16

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में एफ0एम0आर0 मद सं0 ए0 1.6.6.1 पर एच0पी0एल0सी0 मशीनों के क्रय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबन्ध में।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य कार्य योजना वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा एफ0एम0आर0 मद सं0 ए0 1.6.6.1 Antenatal Screening of all pregnant women coming to the facilities in their first trimester for Sickle cell trait, β Thalassemia, Hemoglobin variants esp. Hemoglobin E and Anemia पर रू0 45.00 लाख प्रति एच0पी0एल0सी0 मशीन की दर से 04 एच0पी0एल0सी0 मशीनों के क्रय हेतु कुल रू0 180.00 लाख की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में निम्नलिखित तालिका के अनुसार रू0 45.00 लाख की धनराशि सम्बन्धित मेडिकल कालेज / चिकित्सा संस्थान को स्थानान्तरित करने हेतु सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा चुकी है–

(Amt. in Lacs)

S.N.	Name of Districts	Name of Medical College	Amount to be released
1	Agra	Agra Medical College	45.00
2	Allahabad	Allahabad Medical College	45.00
3	Meerut	Meerut Medical College	45.00
4	Varanasi	Varanasi Medical College	45.00
		Total	**180.00**

3. एच0पी0एल0सी0 मशीनों के क्रय हेतु अवमुक्त धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के खाते से सम्बन्धित मेडिकल कालेज / चिकित्सा संस्थान को प्राथमिकता के आधार पर स्थान्नातरित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम / मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

5. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक

कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

6. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक सं0– एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी0/2016–17/

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
4. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. सम्बन्धित निदेशक/प्रधानाचार्य, चिकित्सा संस्थान/कालेज, उ0प्र0।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, मेडिकल कालेज/चिकित्सा संस्थान को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सूचना इस कार्यालय एवं जिला स्वास्थ्य समिति को नियमित रूप से प्रेषित की जाये।
8. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का अनुश्रवण करते हुये प्राथमिकमता के आधार पर सम्बन्धित मेडिकल कालेज/चिकित्सा संस्थान को स्थानान्तरित कराना सुनिश्चित करें।
9. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट–www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(डा0 ए0 बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक,
एन0सी0डी0